आयुध-उपकरण कारखाना कानपुर के निकट ग्राइण्डिंग मिल

6556. **श्री हरगोविन्द वर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आयुध उपकरण कारखाना, कानपुर के निकट कोई ग्राइंडिंग मिल लगाई गई है;

(ख) यदि हां, तो क्या उस मिल के अन्दर पिसी सामग्री कारखाने के अन्दर, पाइप से लाने की कोई योजना थी ;

(ग) यदि हां, तो क्या यह योजना असफल हो गई है ;

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार को इस बात की कोई पूर्व जानकारी थी; और

(ङ) यदि हां, तो ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री० शेर सिंह) : (क) जी हां ।

(ख) जी हां ।

(ग) जी नहीं ।

(घ) और (ङ). प्रश्न नहीं उठते ।

महाराष्ट्र में उद्योगों की स्थापना के लिए केन्द्रीय सहायता

6557. **श्री केशव राव धोंडगे** : क्या उद्योग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष 1977-78 के दौरान महाराष्ट्र में केन्द्र सरकार द्वारा कितने उद्योग स्थापित किये गये अथवा कितने उद्योगों के लिए केन्द्रीय सहायता दी गई; और

(ख) उन उद्योगों के नाम क्या हैं तथा वे कहां कहां स्थित हैं और उन पर कितनी राशि खर्च की गई?

उद्योग मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती आशा मलहोत्रा) : (क) और (ख). सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा क्रियान्वित की जा रही महत्वपूर्ण केन्द्रीय औद्योगिक परियोजनाओं की सूची तथा वर्ष 1977-78 की वार्षिक योजना में उनके लिए किया गया परिव्यय प्रावधान निम्न प्रकार है :—

(रुपये करोड़ों में)

परियोजना का नाम	स्थान	1977-78 परिव्यय
1	2	3	4
1. भारतीय उर्वरक निगम लिमिटेड		
(क) ट्रोम्बे-4 संयंत्र	ट्रोम्बे	18.00
(ख) ट्रोम्बे-5 संयंत्र	ट्रोम्बे	12.00
(ग) कैप्टिव पावर संयंत्र	ट्रोम्बे	1.67
2. हिन्दुस्तान इन्सेक्टीसाइड लिमिटेड		
(क) मेलाथियन परियोजना	रसायनी	1.60
(ख) डी० डी० टी० परियोजना	रसायनी	1.00

1	2	3	4
3.	हिन्दुस्तान आर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड (विभिन्न परियोजनाएं)	रसायनी	2.96
4.	हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड केटेलिपिटक/टेवोटलनेकिंग/वेक्युम पाईप स्टिल युनिट बम्बई		0 92
5.	भारत रिफाइनरी लिमिटेड (रिफाइनरी की सशोधित योजना)	बम्बई	2.64
6	हिन्दुस्तान एन्टीबायोटिक्स लिमिटेड (विभिन्न परियोजनाए)	पिम्परी	1 95

चूकि वित्तीय वर्ष 1977–78 के अकेक्षित लेखे उपलब्ध नही हैं अत उपर्युक्त परियोजनाओ पर किये गये व्यय के बारे मे ब्यौरे देना सम्भव नही है । केन्द्र द्वारा इस मत्रालय मे राज्य-वार एवम परियोजनावार किय गय व्यय के ब्यौरे नही रखे जाते हैं ।

पूजीगत राजसहायता की केन्द्रीय योजना के अधीन अचल पूजी निवेश के 15 प्रतिशत के बराबर किन्तु अधिकतम 15 लाख रुपए तक की राजसहायता नए एकको तथा विस्तार करने वाले विद्यमान एकको को दी जाती है । इस योजना हेतु महाराष्ट्र सरकार को वर्ष 1977–78 के दौरान 2 18,12 132/– रुपए की राशि दी गई थी । रियायती वित्त प्राप्त करने की अर्हता के लिए राज्य के 13 जिलो को औद्योगिक दृष्टि से पिछडा हुआ चुना गया है ।

जहां तक ग्रामीण और लघु उद्योग क्षेत्र का सम्बन्ध है राज्य सरकार को वर्ष 1977–78 के दौरान निम्नलिखित योजनाओ हेतु केन्द्रीय राज सहायता प्रदान की गई थी —

(1) सीमान्त राशि सहायता —लघु उद्योग स्थापित करने हेतु सीमान्त पूजि सहायता की एक नई केन्द्रीय योजना के अधीन राज्य सरकार को वर्ष 1977–78 के दौरान 40 लाख रुपये की सहायता प्रदान की गई थी ।

(2) हथकरघा उद्योग —हथकरघा उद्योग के केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र को वर्ष 1976-77 मे एक गहन विकास परियोजना (आई० डी० पी०) तथा एक निर्यात उत्पादन परियोजना (ई० पी० पी०) आवटित की गई थी । गहन विकास परियोजना पर कुल 1 85 करोड रुपए की लागत आएगी, जिसमे से प्रथम तीन वर्षों मे केन्द्र और राज्य द्वारा 75 25 के अनुपात्र मे तथा अन्तिम दो वर्षों मे 50 50 के अनुपात्र मे व्यय किया जाएगा। निर्यात उत्पादन परियोजना पर कुल 40 लाख रुपए की लागत आएगी तथा यह समूची लागत केन्द्र द्वारा वहन की जाएगी ।

(3) हस्तशिल्प —गलीचा बुनाई सम्बन्धी बडे पैमाने पर प्रशिक्षण के केन्द्रीय कार्यक्रम के अन्तर्गत महाराष्ट्र मे वर्ष 1977–78 के लिए 20 प्रतिशत केन्द्रो की स्वीकृति दी गई थी ।

(4) ग्रामीण उद्योग परियोजना —केन्द्र द्वारा आयोजित ग्रामीण उद्योग परियोजना

की योजना के अधीन महाराष्ट्र को (क) उसमानाबाद, (ख) अहमदाबाद, (ग) रतनागिरि, (घ) बर्वा, (ङ) धूलिया, (च) और और (छ) यातमल नामक सात परियोजनायें आवटित की गई हैं। महाराष्ट्र राज्य को वित्तीय वर्ष 1977-78 मे ग्रामीण उद्योग परियोजनाओ के लिए 23 04 करोड रुपए स्वीकृत किये गये थे।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमो को जारी किए गए आशय-पत्र और औद्योगिक लाइसेंस सम्बन्धी विवरण "विकली बुलेटिन आफ इन्डस्ट्रीज एण्ड एक्सपोर्ट लाइसेंसिस" और "मन्थली लिस्ट आफ इन्टेंट एण्ड इण्डस्ट्रीयल लाइसेंसिज" मे प्रकाशित किये जाते हैं तथा जिनकी प्रतिया ससद् के पुस्तकालय मे उपलब्ध हैं।

Shifting of Recruiting Office Gurgaon to Bhiwani

6558 SHRI MANOHAR LAL SAINI Will the Minister of DEFENCE be pleased to state

(a) whether it is a fact that the Recruiting Office at Gurgaon which was functioning there for the last 50 years or so was got shifted to Bhiwani by the ex-Defence Minister during Emergency period;

(b) whether it is also a fact that a very large number of persons from Gurgaon District are in the Military and maximum casualties in the last two wars were from this District;

(c) whether Government are contemplating to re-open the recruiting office at Gurgaon; and

(d) if not, the reasons therefor?

THE MINISTER OF DEFENCE (SHRI JAGJIVAN RAM): (a) The Recruiting Office at Gurgaon which was functioning since 1963, was shifted to Hissar, and not to Bhiwani, in October 1976. This was done while adjusting jurisdiction of various Recruiting Offices in Haryana State.

(b) Approximately 1.7 per cent of the Army strength are from District of Gurgaon, as it was before reorganisation of Districts in Haryana. Army personnel belonging to Gurgaon District reported killed during the last two Wars are as under —

Indo-Pak Conflict 1965	14
Indo-Pak Conflict 1971	—55

(c) and (d). On representations received from a number of persons, the Government are already seized of the matter. In the mean time, this district has been placed under the jurisdiction of Delhi Recruiting Office with effect from 1st January, 1978

Number of Persons working in Undertakings of Atomic Energy

6559 SHRI SHIV NARAIN SARSONIA: Will the Minister of ATOMIC ENERGY be pleased to state:

(a) the class-wise (I, II, III & IV) total number of persons in the following Undertakings functioning under the Department of Atomic Energy;

1. Electronics Corporation of India Ltd

2 Indian Rare Earths Ltd.

3 Uranium Corporation of India Ltd.

(b) the number of Scheduled Castes and Scheduled Tribes in each class and each Undertaking separately;

(c) whether the Government of India's Orders relating to reservation of vacancies are followed in the matter of recruitment and promotion in these Undertakings; and

(d) if not, the reasons thereof?

THE PRIME MINISTER (SHRI MORARJI DESAI): (a) and (b) The following is the group-wise statement showing the total number of employees and the number of Scheduled